न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 220/09 (वाद)
GCMS No. : 2009/00004

1. श्रीमती वरदीबाई पत्नी स्व० मांगीलालजी जाति खटीक आयु वयस्क निवासी सनवाड़ तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) मृतक के बजाय

1/1 श्रीमती प्रेम पुत्री वरदीबाई पत्नी बंशीलाल खटीक निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।

1/2 श्री शांतादेवी पुत्री स्व. वरदीबाई पत्नी देवीलाल खटीक निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।

2. बंशीधर पिता मांगीलाल जी जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

............वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
2. नगरपालिका फतहनगर सनवाड जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ तहसील मावली जिला उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री दिनेश चन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री राजपेरोकार तहसीलदार मावली, प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 08.10.2025

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता/पति मृतक मांगीलाल पिता नारायणजी खटीक निवासी सनवाड़ को गांव, सनवाड़ ठिकाणा द्वारा संवत 2008 में नजराना राशि 111/— एक सौ ग्यारह रूपये पर गांव सनवाड़ के साबिक खसरा संख्या 3352 में से 5 पांच बीघा जमीन पट्टे पर दी गई थी जिसका पट्टा ठिकाणा सनवाड़ द्वारा मांगीलाल खटीक के पक्ष में जारी कर मौके पर हमारे पिता/पति मांगीलालजी खटीक का कब्जा सिपुर्द किया गया व तभी से अर्थात संवत 2008 से आज दिनांक तक अर्थात विगत 67 सतेसठ वर्षों से लगातार निरतंर बिना किसी बाधा के पूर्व मे हमारे पिता/पति का एवं इनके स्वर्गवास पश्चात हम वादीगण के कब्जे उपभोग मे चली आ रही है। ठिकाणा सनवाड़ से जमीन मिलने के पश्चात हमारे पिता/पति मांगीलालजी ने उक्त भूमि को विकसित कर [illegible] लाखो रूपयो की लागत लगाई व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

परिवार सहित श्रम किया है, जमीन को समतल करवाई, उक्त भूमि के चारो तरह बाड़ बनवाई और अपने जीवनकाल में उनके द्वारा और मांगीलालजी के स्वर्गवास के पश्चात हम वादीगण के कब्जे काश्त मे होकर उपयोग उपभोग कर रहे है. प्रति वर्ष बो व काट रहे है और उक्त जमीन पर हमारा कब्जा विगत 67 सतेसठ वर्षों से लगातार निरतंर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है।

2. यह कि तहसील मावली की वर्तमान पेमाईश मे उक्त साबिक खसरा संख्या 3352 के नये नम्बर 5520/4079 कांयम किये गये तथा नई जरीब 132 एक सो बत्तीस चेन की होने से उक्त पुराना 5 पांच बीघा का नया क्षेत्रफल 06 छः बीघा 17 सत्रह बिस्वा कायम किया गया इसलिए वर्तमान मे हम वादीगण के कब्जे काश्त में कुलिया छः बीघा सत्रह बिस्वा भूमि है। हम वादीगण के पिता/पति स्व० मांगीलालजी मजदूरी करने हेतु बाहर गुजरात चले गये इस वजह से ठिकाणा सनवाड के उक्त पट्टे के आधार पर मृतक मांगीलालजी के नाम पर राजस्व रिकार्ड मे उक्त भूमि दर्ज नही हो सकी और राजस्व अभिलेख में अभी तक बिलानाम चल रही है। हम वादीगण को उक्त तथ्य का ज्ञान होने पर वादीगण ने इस बाबत तहसील मावली मे एवं श्रीमान कलक्टर साहब उदयपुर के यंहा पर कई बार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये परन्तु जमीन वादीगण के नाम पर दर्ज नहीं की गई। इस कारण वादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत धारा 80 जा०दी० के तहत राजस्थान राज्य को पंजीकृत सूचना पत्र भी प्रेषित करवाया जिसकी भी अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करना पड़ा है।

3. यह कि गांव सनवाड़ ठिकाणा का गांव था तथा जागीर अधिग्रहण के पूर्व ठिकानेदार को राजकीय भूमि आवंटन/विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था एवं उक्त अधिकार के तहत ही वादीगण के पिता मांगीलालजी खटीक को ठिकाणा सनवाड़ ने 5 पांच बीघा जमीन नजराना राशि 111/– एक सौ ग्यारह रूपया पर दी गई परन्तु जमीन वादीगण के नाम पर दर्ज नही होने से वादीगण वर्तमान खसरा संख्या 5520/4079 के छः बीघा सत्रह बिस्वा भूमि जिस पर हम वादीगण का कब्जा हमारे पिता/पति के जीवनकाल से विगत 67 सतेसठ वर्षों से लगातार निरतंर बिना किसी बाधा के प्रतिवादीगण की जानकारी मे चला आ रहा है और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी उक्त भूमि को अपने नाम पर घोषित करवा खातेदार काश्तकार के रूप मे अंकन करवाने के अधिकारी है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या एक द्वारा उक्त मौजा सनवाड़ की भूमि आराजी खसरा न० 5520/4079 को प्रतिवादी संख्या दो नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ को वादपत्र के विचारण के दौरान स्थानान्तरण कर दी है जबकि उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर संवत 2008 से अर्थात ठिकाणा सनवाड़ द्वारा नजराने के 111/–एक सौ ग्यारह रूपया में साबिक आराजी न० 3352 में से 5 पांच बीघा जमीन पट्टे पर हम वादीगण के पिता/पति स्व० मांगीलाल पिता नारायण खटीक निवासी सनवाड को आवंटित कर कब्जा सिपुर्द किया था तब से हमारे पिता/पति एवं उनके स्वर्गवास पश्चात हम वादीगण का कब्जा है जिसमे हम वादीगण प्रति वर्ष मौसमनुसार फसल बो रहे है व काट रहे है और विगत 67 सतेसठ वर्षों से लगातार निरतंर बिना किसी बाधा के प्रतिवादीगण की जानकारी मे हमारा कब्जा चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी हमारे ही कब्जे उपयोग उपभोग में है। नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ प्रतिवादी संख्या दो को प्रतिवादी संख्या एक द्वारा मौके पर भौतिक रूप से कब्जा सिपुर्द नहीं किया है इसलिए यह अंतरण बिना कब्जा सिपुर्दगी के होने से हमारे मुकाबला मे शून्य व बैअसर है ।

5. यह कि चूंकि वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रतिवादी संख्या दो नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ को उक्त वादगत भूमि आवंटित कर दी गयी है जिससे प्रतिवादी संख्या दो नगरपालिका फतहनगर सनवाड हम वादीगण को कभी भी मौके से बेदखल कर सकती है जिसको इनको कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त भूमि पर हम वादीगण अपने पिता/पति के जीवनकाल से ही सनवाड़ ठिकाणा से पट्टे पर लेने के पश्चात से ही विगत 67 सतेसठ वर्षों से लगातार निरतंर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है इसलिए न्याय हित मे प्रतिवादी संख्या दो को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी संख्या दो उक्त वादगत भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे न हम वादीगण को मौके से बेदखल करे और हमे शांतिपूर्वक उक्त वादगत भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे इसमे किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने कर्मचारियों एजेन्ट इत्यादि से करवावें ।

6. यह कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या दो के विरूद्ध वादपत्र कारण प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रतिवादी संख्या दो को उक्त वादगत भूमि आवंटित करने की जानकारी मिलने से उत्पन्न हुआ जिस पर हम वादीगण ने माननीय न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा०दी० ... प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या दो को उक्त अनवान मामला में पक्षकार बनाया व अंतिम बार दिनाक 05–04–18 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

उत्पन्न हुआ प्रतिवादी संख्या दो ने उक्त भूमि से हमे बेदखल करने की धमकी दी उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

7. अंत में निवेदन किया की वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित भूमि साबिक आराजी न0 3352 जिसके वर्तमान खसरा संख्या 5520/4079 रकबा छः बीघा सत्रह बिस्वा भूमि को हम वादीगण के नाम पर घोषित फरमाई जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे स्वतन्त्र रूप से खातेदार काश्तकार की हैसियत से अंकित फरमाई जावे व इसी अनुसार अलग से लगान जारी फरमाया जावे । वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या दो के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या दो उक्त खसरा संख्या 5520/4079 रकबा छः बीघा सत्रह बिस्वा भूमि जो वर्तमान मे इनके नाम पर जमाबंदी में अंकित है उक्त भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे न मुझे मौके से बेदखल करे और हम वादीगण को शांतिपूर्वक उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे इसमे किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट कर्मचारियों आदि से करवावे ।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में राजपेरोकार मावली द्वारा वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

    1. आया वादीगण मौजा सनवाड के आराजी नम्बर 5520/4079 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा का खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

    .... जिम्मे वादीगण

    2. दादरसी।

9. प्रकरण में साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू 1 वरदीबाई पत्नी मांगीलाल निवासी सनवाड, पी.डब्ल्यू 1 श्री बंशीधर पिता मांगीलाल निवासी सनवाड, पी.डब्ल्यू 3 चन्द्रीबाई पत्नी हरिराम गायरी निवासी सनवाड, पी.डब्ल्यू 4 श्री प्रेमचन्द पिता हिरालाल निवासी सनवाड के पेश किए गए। गवाह पी.डब्ल्यू 1 वरदीबाई पत्नी मांगीलाल द्वारा दस्तावेज ठिकाणा सनवाड का पट्टा प्रदर्श 1 जिसकी छायाप्रति प्रदर्श ए 1 है। जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श 2, सेटलमेन्ट खसरा नकल प्रदर्श 3, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4, पी 14 की नकल प्रदर्श 5, पंजीकृत नोटिस की प्रदर्श 6, पोस्ट ऑफिस की प्रति प्रदर्श 7 कराए गए। गवाह पी.डब्ल्यू 1 से 3 से जिरह प्रतिवादी राजपैरोकार द्वारा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

10. अधिवक्ता वादीगण एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया की वादीगण के पास कोई पट्टा नही है तथा ना ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का कोई प्रावधान है।

11. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

1. आया वादीगण मौजा सनवाड के आराजी नम्बर 5520/4079 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा का खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

.... जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने के लिए दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगायत 7 प्रस्तुत किए। स्वतंत्र गवाह के भी बयान लेखबद्ध करवाए गए। ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2064–67 के खाता संख्या 1 पर दर्ज आराजी नम्बर 5520/4079 रकबा 6 बिघा 17 बिस्वा भूमि बिलानाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का प्रस्तुत कर उक्त भूमि वर्तमान में नगरपालिका फतहनगर सनवाड के नाम दर्ज होने का कथन किया। अर्थात वादीगण के स्वयं के कथानुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान में नगरपालिका के नाम दर्ज है। जिसके संबंध में जमाबंदी भी पत्रावली में संलग्न है। वादीगण का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के पूर्व में आराजी नम्बर 3352 थे, जिसमें में से 5 बिघा भूमि नजराना 111 रूपये पर संवत 2008 में पट्टा ठिकाणा सनवाड द्वारा मांगीलाल खटीक के पक्ष में जारी किया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 जिससे वादीगण पट्टा बता रहे है, उसको किसके द्वारा जारी किया गया है इस संबंध में कोई उल्लेख नही है तथा ना ही कोई हस्ताक्षर है। वादीगण द्वारा उक्त दस्तावेज की सत्यता हेतु कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया, जिससे उक्त दस्तावेज की प्रमाणिकता सिद्ध हो सके। वादीगण का कथन है कि उनके पिता मजदूरी करने गुजरात चले गए इस कारण [illegible] नाम नही करा सके। वादीगण के इस कथन से भी न्यायालय संतुष्ट नही [illegible] क्योंकि वादीगण के पिता अपने सम्पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

जीवनकाल तो गुजरात रहे नहीं होगें। यदि सम्पूर्ण जीवनकाल ही गुजरात रहे है तो वादीगण के पिता का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही था। यदि उक्त भूमि का पट्टा वादीगण के पिता को दिया जाता तो अवश्य ही वादीगण के पिता अपने नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही अपने जीवनकाल में करते अर्थात जब वादीगण के पिता द्वारा ही उक्त भूमि को अपने जीवनकाल में अपने नाम कराने की कार्यवाही नही करने से स्पष्ट जाहीर होता है कि वादीगण के पिता को ऐसा कोई पट्टा जारी नही किया।

प्रदर्श 3 मिलान पत्रक भू–प्रबंध विभाग का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वर्तमान माप में आराजी नम्बर 5520/4079 अंकित है, परन्तु उक्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर क्या है। इस संबंध में कोई उल्लेख नही है। अर्थात वादीगण यह भी साबित कराने में असफल रहे की साबिक आराजी नम्बर 3352 से ही हाल आराजी नम्बर 5520/4079 ही बने है।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र की कलम संख्या 5 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी उक्त भूमि को अपने नाम पर घोषित करवाने के अधिकारी बताया है। न्यायालय इस कथन से भी संतुष्ट नही है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा देने का कोई प्रावधान नही है। **कानून की स्थिति स्पष्ट है कि प्रतिकूल/पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं, केवल धारा 63(1)(4) के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के ही प्रावधान हैं। RRT 2011 पेज 721 के वृहत पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान हीं नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2014 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं माना है। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं।** उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजात एवं नजीरों के आधार पर स्पष्ट है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही दी जा सकती है। वर्तमान में भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

नगरपालिका के नाम दर्ज है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।

न्यायालय का यह भी अभिमत है कि बिलानाम भूमि पर कब्जे के आधार पर घोषणा देने का कोई प्रावधान नही है, इसके लिए पृथक आवंटन एवं नियमन के नियम बने हुए है। इसलिए वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि पर यदि कब्जा है तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमन करवाने के लिए स्वतंत्र है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

—: आदेश :—

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती वरदीबाई पत्नी स्व० मांगीलालजी जाति खटीक आयु वयस्क निवासी सनवाड़ तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) मृतक के बजाय

1/1 श्रीमती प्रेम पुत्री वरदीबाई पत्नी बंशीलाल खटीक निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।

1/2 श्री शांतादेवी पुत्री स्व. वरदीबाई पत्नी देवीलाल खटीक निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।

2. बंशीधर पिता मांगीलाल जी जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
2. नगरपालिका फतहनगर सनवाड जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 220/09 (वाद) GCMS No. : 2009/00004

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.10.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested